कार्यालय वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उत्तर प्रदेश, गोण्डा।

पत्रॉक– 3507/33–1, दिनांक, गोण्डा, मई 17 /2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.588 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/151936/2022)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/303/2022/एफ.सी., दिनॉक 12.12.2022 तथा आपका पत्रांक–2062/11–सी–FP/UP/ROAD/151936/2022, दिनॉक 19.12.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सादर अवगत कराना है कि अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.588 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव आपको भेजा गया था, जिस पर आप द्वारा बिन्दु सं0–01 से 08 तक आपत्तियॉं लगायी गई थी, जिसका निराकरण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा को निर्देशित किया गया। तत्कम में प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्रॉक–3811/33–1, दिनॉक 16.05.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कर आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार (03 प्रतियॉं मूल में)।

भवदीय,

17/5/23

(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

पत्रॉक– /अ उक्त दिनॉकित।

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा उनके पत्रॉक–3811/33–1, दिनॉक 16.05.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

D:\office 07-07-2018\OFFICE 02-05-2018\court case\VFC Genral forwding .docx ram lal

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

पत्रांक 3811 /33–1, दिनांक, मई 16 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाट वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

विषयः– अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों की अनुमति के क्रम में।

संदर्भः– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/303/2022/एफ0सी0 दिनांक 12.12.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2062/11C दिनांक 19.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–2148/33–1 दिनांक 31.12.2022 से परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई रायबरेली को इंगित अपत्तियों कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख 5 प्रतियों उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, उनके द्वारा अपने पत्र सं0–एन0एच0ए0आई0/पी0आई0यू0–आर0बी0एल0वाई0/अयोध्या रिंगरोड/2023/26612 दिनांक 21.02.2023 में संलग्न कर बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर से सम्बन्धित अभिलेख 5 प्रतियों में उपलब्ध कराया गया है। जिससे सम्बन्धित अभिलेख 4 प्रतियों में संलग्न कर बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है, उत्तरालेख निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	आपत्तियों का विवरण	उत्तरालेख
1	As per Geo-refenced map and SOI toposheet it seems that, incomplete kml file of the area proposed for diversion has been uplpaded on the parivesh portal. According to the uplpaded kml file, the area proposed for diversion is 0.31 Ha, which is not matching with the proposal area. This needs rectification.	The proposed area for diversion is 2.48 Ha (0.381 ha under Gonda forest division). Revised KML file has been uploaded on PARIVESH portal.
2	As per the proposal the CA land of ayodhya district is proposed in the bakchuna RF, but according to the dss the proposed CA land falls out side the RF area, as per the google earth imageries dated 09.03.2022 agriculture activity has also been observed on that CA site. This needs clarification/rectification.	This section is not relevant to Gonda Forest Division.
3	As per the parivesh portal, the uploaded soi toposheet of the proposed area for diversion and CA land area is not clearly visible. This needs to be re-uploaded with high-dpi.	A high-resolution Soi toposheet map of proposed area for diversion has been uploaded on PARIVESH portal. The clearly visible SOI toposheet map of CA area shall be uploaded by concerned DFOs.
4	As per the PARIVESH portal, the uploaded Geo-refernce map of the proposal CA land of Gonda range is not clearly visible, this need to be re-uploaded with high DPI.	The clearly visible Geo-refernce map of proposed CA area shall be uploaded by DFO Gonda.
5	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 5.43 Ha, the proposal CA land of the Tikeri range of 1.50 Ha is not suitable for plantation due to dense forest cover.	CA land has been provided at Ramgarh Compartment No.7 in Tikeri range Gonda Forest Divisiuon Gonda.
6	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO of respective diversion needs to be submitted.	The Proposed alignment is Greenfield and entirely located in plain area having no scope of tunneling hill cutting /deep excavation hence, no muck will be generated due to development of proposed

vfc981

Scanned with CamScanner

		road however, some construction debris are likely to be generated which will be utilized for leveling, making approach, haul road, worker compound/construction yard etc. in the project work itselg and no disposal of muck is required. Therefore, no muck disposal plan is required. A certificate for the same as approved by concerned by DFO is enclosed as Annexure-I.
7	Plantation scheme for road side plantation needs to be submitted.	Road side plantation of approx. 52000 trees and shrubs (7000 trees as Avenue plantation and 45000 shrubs as Median plantation) will be carried out as per availability of space within RoW in consultation with State Forest Department scheme for roadside plantation shall be submitted during construction stage by the contractor.
8	NOC from concered Department (like railway etc.) needs to be submitted.	The proposed project involves 4 ROBs. The approval of GADs from chief Bridge Engineer Railway is enclosed as annexure-II.

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

V.F.C

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

17/5/23

संख्या........................अ/उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक महोदय, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

Scanned with CamScanner